भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4079
दिनांक 25 मार्च, 2025/ 4 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

महत्वपूर्ण सीमा अवसंरचना

†4079. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वित्तपोषण की कमी और अंतर-एजेंसी विवादों के फलस्वरूप बाड़ लगाने, चौकियों और सड़कों जैसी महत्वपूर्ण सीमा अवसंरचना के निर्माण में विलंब का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश जैसी संवेदनशील सीमाओं पर इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली इन कमजोरियों को किस प्रकार दूर करने की योजना बना रहा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाड़ लगाने, सीमा चौकियों, फ्लडलाइट्स और सड़कों जैसे महत्वपूर्ण सीमा बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय द्वारा सीमा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निष्पादन एजेंसियों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, समर्पित राज्य स्तरीय संचालन समितियाँ सुचारू निष्पादन की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती हैं।

(ग): सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और संभावित चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें विस्तृत भेद्यता मानचित्रण, अतिरिक्त सीमा बलों की तैनाती और विशेष निगरानी उपकरणों का उपयोग शामिल है, जिन्हें रणनीतिक स्थानों पर स्थापित किया गया है। उपरोक्त के अलावा, चौबीसों घंटे गश्त, सुरंग रोधी अभ्यास, सीमा फ्लडलाइट्स और सुरक्षा बाड़ लगाने जैसे उपाय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मजबूत सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करते हैं।

******